विभाग का नाम	–	परिवहन, दिल्ली सरकार
विभाग का पता	–	5/9 अंडर हिल रोड़, दिल्ली–54
अतारांकित प्रश्न संख्या	–	196
सदस्य का नाम	–	चौ0 फतेह सिंह
दिनांक	–	10 -08- 2017

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न	उत्तर
क) क्या यह सत्य है कि 17 मार्च 2016 को परिवहन विभाग ने दिल्ली विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति को आश्वासन दिया था, कि डीएसआईआर को प्राथमिक चिकित्सा देने हेतु, प्रशिक्षण देने के लिए, दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 में संशोधन की अधिसूचना दो महीने में कर दी जाएगी; ख) यदि हां तो, यह अधिसूचना अभी तक क्यों नहीं की गयी; और ग) अब तक अधिसूचना जारी न करने के क्या कारण हैं और कब तक कर दी जाएंगी?	विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही से पूर्व प्रतिवर्ष जारी किये गए प्रमाणपत्र की संख्या, प्रतिक्षा का समय, शुल्क, प्रक्रिया आदि का विवरण प्राप्त किया जाए। विभाग द्वारा दिनांक 24–11–2016 को सचिव, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन को एक पत्र लिखा गया है। जिसका जवाब 30–11–2016 को प्राप्त हुआ, जिससे यह सूचना प्राप्त हुई कि सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन में कोई प्रतिक्षा अवधि नहीं है। इसके अतिरिक्त सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन दिल्ली सेन्टर में कोर्स में प्रवेश देने के लिए आवेदको को स्टेज कैरिज कन्डेक्टर लाइसेन्स के जारी करने/नवीकरण आदी के लिए पूरी सुविधा है। इससे पता चला है कि सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन दिल्ली केन्द्र में सभांवित आवेदको की जरूरतो को पूरा करने के लिए आवश्यक ढ़ाचे से पूरी तरह सुसज्जित है। इन तथ्यों के दृष्टिगत विभाग द्वारा अन्य संस्थानों को अनुमति देने के प्रस्ताव पर पुनः विचार किया जा रहा है।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

VARSHA JOSHI, IAS
Secretary cum Commissioner
Transport Department
GNCT Delhi
5/9, Under Hill Road, D